[Shri M. S. Gurupadaswamy] ders, it seemes, have also appeared on the TV and said that revenge will be taken against those who were reshanging Magbool for Delhi. This Butt is a very in serious matter. So far. the Government machinery has been able to identify those who have murder Ravindra Mahtre there. I do not know whether the Government is in the know of things, whether they know who are the people who constitute the Kashmir Liberation Army, whether the Government of India has taken up the matter with the Government of Britain and whether Government of Britain is investigating the matter and whether there is any foreign power which is involved in this whether any foreign power is supporting them financially or otherwise. If the Government of Britain has been able to trace these elements. will the Government of India take up with the Government of Britain and ask them to identify those elements and take action, if necessary, to depot them? I am not sure what action is being taken. I think the Government should make a statement in a day or two about the various developments there because the life of the diplomats is in danger and is not secure. They are on foreign soil, and Britain seems to be permitting those elements to operate.

So, may I ask the Government again to make a statement on the matter.

REFERENCE TO THE ALLEGED RECENT BURNING OF A WOMAN AND FIVE CHILDREN IN A HUT IN PANDAV NAGAR COLONY, DELHI

श्री कैलाशपित मिश्र (बिहार):
उपसभापित महोदय, बिहार से श्राया
हुश्राएक मजदूर श्री देव नन्दन विपाठी, श्रपने
परिवार श्रपने बच्चों श्रपनी पत्नी के साथ दिल्ली
में 10-12 साल से रह करके मजदूरी
कर रहा था। एक प्लाट पर उसने श्रुगी झोंपड़ी
बनाई। यह पांडव नगर में प्लाट न०

105 था । जिसकी जमीन पड़ती थी उस ने जाकर उससे किराया तय किया । शरु में उससे कहा कि एक हजार रुपये भाप दे दो भीर हम हर महीने में किराये में तमसे कटौती करके चले जायेंगे। उसने जो कछ 10-11 साल से कटाया था ग्रौर पत्नी के गहने इत्यादि बेचकर एक हजार दिया था. लेकिन जैसे उसने सारा रूपया दे दिया तो दुसरे महीने से उस प्लाट पर से ही उसको भगाने का षड़यंत्र शुरू हो गया । ग्रवस्था यह चली 🔭 कि पिछले एक साल से लगातार उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, घर के ऊपर हमला. कभी गुडों के द्वारा हमला, कभी प्लाट के मालिक द्वारा हमला, यह निरन्तर 🧸 चल रही 4 जनबरी, 1983 को उसकी झोंपड़ी में श्राग लगाने की कोशिश की गई। थोडा सा पोर्शन जला, लेकिन फिर भी उसे बचा लिया गया । जब वह पुलिस मे रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया, तो पुलिस प्लाट मालिक के साथ कैसे मिली हुई है कि उलटे बेचारे उस देव नन्दन की ही पिटाई हुई ।

21 जनवरी, 1984 को फिर उसकी झोंपड़ी में स्राग लगाने की कोशिश की श्रीर श्राग ही नहीं लगाई गई, उसे खली धमकी दी गई कि ग्रगर लाट छोड़ कर नहीं गये, तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी तुम्हारे परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा । चार दिन तक वह डर के मारे श्रोंपड़ी से बाहर नहीं निकला । 8 तारीख को जब वह पुलिस चौकी पर गया और रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस के थानेदार ने उसको पीटना शुरू किया स्रौर, उप-सभापति जी, महा अनर्थ हो गया 30 मार्च को, जब चारों तरफ से घेर कर के उसकी झोंपड़ी में भ्राग लगा दी गई। देव नन्दन की पत्नी उसमें जल गई. उसके पांच छोटे-छोटे बच्चे जल गये । परिवार

· 177

के दूसरे सदस्य जब रोते हुए पुलिस चौकी पहुंचे, तो पुलिस इतनी खराब है ग्रौर प्लाट मालिक के साथ मिली हुई थी कि उलटे जहां हत्या का केस चलवाना चाहिए था, रजिस्टर में लिख दिया कि यह ग्रात्महत्या का मामला है। दो बार पहले हमला हो गया है, एक साल से लगातार उसको भगाने की कोशिश हो

रही है ''(समय का घंटी) ' अब उसके

बाद पुलिस ने लिख दिया है कि इन्होंने

आत्महत्या की है।

इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हू कि स्वास्थ्य मंत्री के ग्रावास के ऊपर कई दिनों से ग्रातंकित मजदूर, जहां पर जाकर, डटे हुए हैं । बारह-तेरह लाख बिहार से ग्राए हुए गरीब मजदूरों का भाग्य उससे बंधा हुग्रा है ।

इस सबंध में मैं सरकार से कहना चाहता हुं कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा न करके इस घटना की सी० बी० ग्राई० द्वारा जांच करवाइये । सी० बी० आई० को पूरी घटना की जांच करने दीजिए, जो निर्दोष होगा, वह मुक्त हो जाएगा, जो दोषी होगा, वह उस ग्रत्या-चार का शिकार होगा, लेकिन अगर सरकार और उसने मेरा मतलब ऊपर से नहीं है, नीचे के थानेदार ग्रादि द्वारा यदि प्लाट मालिक के साथ षडमंत में रह कर इस घटना को दबाने की कोशिश होगी, तो उपसभापति जी, यह इतने बड़े भारत की राजधानी दिल्ली है जिसमें तीस लाख की श्राबादी श्राज झुगी-झौपड़ी में रह रही है, ऐसा अनर्थ होगा। इस अनर्थ का पर्दाफांश होना चाहिए, सी० बी० ग्राई० द्वारा जांच होनी चाहिए।

## THE FINANCE BILL, 1984

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the Finance Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHER-JEE): Mr. Deputy Chairman, Sir, with your permission, I beg to move:

The April 2015 Company

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Gevernment for the financial year 1984-85, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

Sir, the salient features of the more important proposals in the Finance Bill, have been explained in my Budget speech. The details of the propsals in the Bill, have been set out in the Explanatory Memorandum circulated along with the Budget papers. I would therefore, not like to take the time of the House by traversing the same ground.

The Bill has now been before the Members for about two hon. During the general discusmonths. sion on the Budget as also 'thereafter, hon. Members from both the Houses have made valuable suggestions in regaro to the various provisions of the Bill. A number of suggestions were also made by trade and industry, professional organisations, economists, tax-payers, tax experts and others. I would like to thank warmly the hon. Members and all others for making useful suggestions and comments on the provisions in the Bill.

After a careful consideration of these suggestions, I had moved certain amendments to some of the provisions in the Bill in the Lok Sabha, which have been accepted and incorporated in the Bill as passed by the Lok Sabha.

I shall at this stage, confine my observations to the main changes which have been made in the provisions of the Bill during its consideration in the Lok Sabha. I will begin with the modifications relating to direct taxes.

Hon'ble Members will recall that the Bill, as introduced, sought to withdraw the concession under Section 80 CC of the Income-tax Act in respect of investment in equity shares offered for public subscription after 29th Feb. 1984. Under the Bill as passed by the